# شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

## فرد احکام

ताकि अवकाफ रामपुर के प्रकरण के पूर्ण रूप से निस्तारण तक उक्त बहुमूल्य पेन्टिंग्स सुरक्षित रह सके। इस संबंध में रामपुर अवकाफ के प्रशासक श्री आले हसन, क्षेत्राधिकारी, नगर रामपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल इमामाबाड़ा कोठी खासबाग, रामपुर में स्थित उस कमरे को बोर्ड के आदेश से अवगत होने से दो दिन के अन्दर सील करा कर बोर्ड के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। प्रशासनिक अधिकारी तत्काल आज ही बोर्ड के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु रजिस्टर्ड डाक से आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रशासक अवकाफ रामपुर श्री आले हसन, क्षेत्राधिकारी, नगर रामपुर को पत्र जारी करें तथा बोर्ड के आदेश से अपर सर्व आयुक्त/जिलाधिकारी, रामपुर को भी तत्काल आवश्यक कार्यवाई हेतु अवगत करायें, जोकि वक्फ इमामबाड़े में मौजूद बहुमूल्य पेन्टिंग्स की सुरक्षा की दृष्टि से अति-आवश्यक है।

12/12/14

(सै0 वसीम रिज़वी)
अध्यक्ष

( सै० वसीम रिज़वी )
अध्यक्ष
शिया के० वक्फ बोर्ड उ० प्र०